न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 91/2019 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2019/00039

दायर दिनांक :– 28.05.2019 निर्णय दिनांक :– 22.05.2025

1. भवरी देवी पुत्री मालाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. लाछी पुत्री मालाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. शंकरी पुत्री मालराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

वादीगण.....

बनाम

1. मालाराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधि. वादीगण

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,92,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज प्रहलादराम पुत्र नराराम के खातेदारी अधिकारों की भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 1053 रकबा 0–10 बीघा व खसरा नम्बर 1054 रकबा 73–19 बीधा कुल रकबा 74–09 बीघा भूमि खातेदारी की आई हुई है जो भूमि वक्त बंदोबस्त वादीगण के दादा तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता प्रहलादराम पुत्र नाराराम के नाम से रजास्व रेकर्ड मे दर्ज हुई उपरोक्त वर्णित जायदाद कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक भूमि है। वादीगण के दादा तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता प्रहलादराम का देहान्त होने पर वादग्रस्त भूमि जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण से प्रतिवादी संख्या 1 मालाराम पुत्र प्रहलादराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि को काश्त की सुविधा के लिए मौके पर अलग–अलग बांट लिया है तथा अपने अपने हिस्से में आने वाली भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति होने स वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री होने से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में वादीगण का 1/5–1/5 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमि अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा लेने से तथा अभी दिनांक 05.04.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के घर पर आकर धमकी दी कि मैं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज मेरे नाम की सम्पूर्ण भूमि को आगे बेचान कर दूंगा तथा आपको बेघर कर दूंगा इसलिए वादीगण को मजबूर होकर यह वाद वास्ते अपने पैतृक हिस्से में आने वाली भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता वादीगण को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर वादीगण की साक्ष्य बंद की गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम कानासर के खाता संख्या 447 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में भूमि दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी भूमि ग्राम कानासर के खसरा नम्बर 1053 रकबा 0–10 बीघा व खसरा नम्बर 1054 रकबा 73–19 बीघा भूमि स्थित है। उक्त आराजी भूमि हमारी पैतृक सम्पति है। वादीगण प्रतिवादी संख्या जायन्दा वारिसान है। इसलिए वादीगण को अपने पैतृक हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम कानासर के खसरा नम्बर 1053 रकबा 0–10 बीघा व खसरा नम्बर 1054 रकबा 73–19 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है जो वादपत्र के संलग्न जमाबंदी से साबित है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फसैल होकर पत्रावली फैसल शुमार होनम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. भवरी देवी पुत्री मालाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. लाछी पुत्री मालाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. शंकरी पुत्री मालराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

वादीगण.....

बनाम

1. मालाराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,90,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा संख्या :– 91/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर ओमप्रकश गोदारा मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। नीचे

बाबत्

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.05.2025 को जारी की गई।

22/5/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।